न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 07 / 2020 तारीख रजू:—19.02.2020

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. जलीस पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

—वादी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रतिवादी

उपस्थितः—

वकील वादी :— श्री अब्दुल वहाब , एडवोकेट

वकील प्रतिवादीः—पैरोकार सरकार

दावा बाबत् दूरूस्ती नक्शा ट्रेस व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 18.02.2026

—: निर्णय :—

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ वादी ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है।

❖ वादी एवं उसके सह खातेदारान इदिया पुत्र महबूब, गफ्फार पुत्र महबूब, सरताज पुत्र महबूब की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1810, 1811, 1812, 1813, 1815, 1817, 1818, 1819, 712, 713 कुल किता 11 कुल रकबा 20.42 है० ग्राम भगवतगढ पटवार हल्का भगतगढ बी तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। जिसमें वादी का 7 / 54 हिस्सा है। वादी एवं उसके अन्य सह खातेदारों ने मौके पर अपने—अपने हिस्से अनुसार बंटवारा क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादी एवं उसके सह खातेदारान इदिया पुत्र महबूब, गफ्फार पुत्र महबूब, सरताज पुत्र महबूब की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1810, 1811, 1812, 1813, 1815, 1817, 1818, 1819, 712, 713 कुल किता 11 कुल रकबा 20.42 है० ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

भगवतगढ पटवार हल्का भगतगढ बी तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। जिसमें वादी का 7/54 हिस्सा है। वादी एवं उसके अन्य सह खातेदारों ने मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करंरखा है। मुताबिक बंटवारे के अन्य खसरा नम्बरान सहित खसरा नम्बर 712 रकबा 0.85 है० वादी के हिस्से में आने पर वादी अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और वादी ने अपने हिस्से की उक्त भूमि में फसल सरसों काश्त कर रखी है जो सरसब्ज खेतों में खड़ी हुई है।

- ❖ दावे के मद नं० 2 में वर्णित नवीन खसरा नम्बरान के साबिक खसरा नम्बर 1642 रकबा 56 बीघा व 1644 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 80 बीघ्झा 15 बिस्वा थे और उक्त साबिक खसरा नम्बर से ही दावे के मद नं0 2 में वर्णित नवीन खसरा नम्बर बने है।
- ❖ साबिक खसरा नम्बर 1642, 1643, 1644 के नक्शा ट्रेस में कोई तरमीम नहीं हो रही है और न ही कोई रास्ता अंकित है। बल्कि साबिक खसरा नम्बर 1642, 1643 1644 के नक्शा ट्रेस में वादी सहित अन्य खातेदारों की भूमि स्थित है।
- ❖ अभी हाल में हुऐ सेटिलमेन्ट के दोरान सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने वादी के हिस्से की भूमि नवीन खसरा नम्बर 712 के उत्तरी ओर साबिक नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता नहीं होते हुऐ भी साबिक खसरा नम्बर 562 व 1643 से एक नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० बनाकर रास्ता अंकित कर दिया जबकि मौके पर न तो कभी रास्ता था और ना कभी रहा है।
- ❖ वादी की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 712 के उत्तर दिशा की ओर जगदीश पुत्र नाथूलाल पूर्विया की खातेदारी भूमि है और दोनो के बीच मेड़ पड़ी हुई है जो इस बात का प्रतीक है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है।
- ❖ सेंटिमेन्ट विभाग वालो के द्वारा गलत एवं निराधार तरीके से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० के आधार पर वादी की भूमि में होकर जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते है जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है।
- ❖ दिनांक 12.02.2020 को गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा रास्ते के सम्बंध में की गई शिकायत के बारे में पटवारी हल्का व गिरदावर मौके पर गये और नापकर रास्ता निकालने लगे तब वादी को जानकारी होने पर वादी ने मना किया और वादी ने पटवारी हल्का व गिरदावर को बताया कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने गलत एवं निराधार तरीके से एक नवीन खसरा नम्बर 721 गै०मु० रास्ता बना दिया [illegible] तो उन्होने बताया कि इस गलती को हम दुरूस्त नहीं कर सकते [illegible] वाद दायर कर इसे दुरूस्त करवाओं इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो सेटिलमेन्ट विभाग वालो द्वारा साबिक से बनाये गये [illegible] नवीन नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाये तथा नवीन खसरा नम्बर 721 को वहां से हजफ करवाये और प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि वो सेटिलमेन्ट विभाग वालो के द्वारा बनाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

गलत नवीन खसरा दिशा की ओर जगदीश पुत्र नाथूलाल पूर्विया की खातेदारी भूमि है और दोनो के बीच मेड़ पड़ी हुई है जो इस बात का प्रतीक है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है।

❖ सेंटिमेन्ट विभाग वालो के द्वारा गलत एवं निराधार तरीके से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० के आधार पर वादी की भूमि में होकर जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते है जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है।

❖ नम्बर 721 के आधार पर वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में होकर कोई रास्ता नहीं निकाले और न ही ऐसा कोई अवैधानिक कार्य करे जिससे वादी के विधिक अधिकार आहत होते हो। बस यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

❖ बिनाए दावा दिनांक 12.02.2020 को अन्दर हदूदअदालते वाला पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

❖ प्रतिवादी के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व विधिवत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में नोटिस दिया जाकर उसकी अवधि तक इन्तजार करने में प्रतिवादी मौके पर रास्ते निकाल कर वादी के अधिकारो को नुकसान पहुंचा सकते है। इसलिए प्रकरण एक अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रार्थना पत्र 80 (2) सीपीसी का पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

❖ वादी प्रार्थी है कि दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादी इस प्रकार डिकी फरमाया जावे कि :—

- साबिक आराजी खसरा नम्बर 562 व 1643 वाके ग्राम पटवार हल्का भगवतगढ़ बी तहसील चौथ का बरवाड़ा से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० गै०मु० रास्ते को नक्शा ट्रेस से हजफ फरमाया जावे।
- वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1642 से बने नवीन खसरा नम्बर 712 रकबा 0.85 है० वाके ग्राम भगवतगढ पटवार हल्का भगवतगढ बी के उत्तरी ओर स्थित साबिक खसरा नम्बर 1643 के नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन ट्रेस में अंकन किया जाकर सेटिलमेन्ट विभाग वालो द्वारा गलत एवं निराधार तरीके से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 को नक्शा ट्रेस से हजफ फरमाया जावे।
- प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नम्बर 712 के उत्तरी ओर कोई नवीन रास्ता नहीं निकाले [illegible] वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के उपयोग [illegible] स्वयं उत्पन्न करें ना अपने किसी कर्मचारी से करावे और न ही ऐसा कोई अवैधानिक कार्य करे जिससे वादी के विधिक अधिकार आहत होते हो।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादी जारी किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 238 दिनांक 19.08.2025 द्वारा जवाब दावा पेश किया है कि–

- मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम भगवतगढ पटवार मण्डल भगवतगढ बी के खसरा नम्बर 1810, 1811, 1812, 1813, 1815, 1817, 1818, 1819, 712 एवं 713 कुल किता 11 कुल रकबा 20.42 है० में वादी जलीस पुत्र गफ्फार का हिस्सा 7 / 54 दर्ज है।

- दावा का मद न०३ स्वीकार है। यह है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 712 713, 1810, 1811, 1812 एवं 1813 साबिक खसरा नम्बर 1642 से एवं खसरा नम्बर 1815. 1817, 1818, 1819 साबिक खसरा नम्बर 1644 से बने है।

- दावा का मद नं0 04 स्वीकार है। मुताबिक साबिक नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बर 1642, 1643, 1644 का नक्शा ट्रेस में कोई तरमीम नहीं हो रही है और ना ही कोई रास्ता अंकित है।

- दावा का मद न05 आंशिक स्वीकार है। यह है कि वादी की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 712 की उत्तरी सीमा की ओर वर्तमान नक्शा शीट में रास्ता दर्शाया गया है जो कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अंकित किया गया है। उक्त रास्ते के खसरे का स्पष्ट अंकन नहीं है जबकि आनलाईन नक्शा शीट में खसरा नम्बर 721 का अंकन किया हुआ है।

- नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है. किस्म गै०मु०रास्ता साबिक खसरा नम्बर 562 में से 0.40 है० व 1643 में से 0.06 है० लेकर बनाया गया है जबकि वादी का हाल खसरा नम्बर 712 जो कि साबिक खसरा नम्बर 1642 से बना है। साबिक नक्शा शीट अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1642 की उत्तरी दिशा की में खसरा नम्बर 557, 558, 559 का अंकन है। खसरा नम्बर 1642 कर उत्तरी दिशा में किसी भी प्रकार का रास्ता अंकित नहीं था।

- वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 712 की खातेदारी का रकबा 0.85 है. की रकबा बरारी करने पर लगभग पूर्ण बैठता है। खसरा नम्बर 721 किस्म गै० मु०रास्ता वादी की खातेदारी में से नहीं लिया गया है।

- इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० बनाने के लिए साबिक खसरा नम्बर 562 में से 0.40 है एवं साबिक खसरा नम्बर 1643 में से 0.06 है रकबा लिया गया है जबकि [illegible] नम्बरान से बने नवीन नम्बरों में रास्ते की नाप करने पर [illegible] 710 [illegible] जो साबिक खसरा नम्बर 1643 से बने हैं. इनमें रास्ते की [illegible] साबिक खसरा नम्बर 562 से बने नये नम्बरों में उक्त रास्ते की नाप लगभग 0.01 है० [illegible]ती है जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा लिये गये रकबे से मिलान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त रास्ता खसरा नम्बर 721 जो नवीन खसरा नम्बर 712, 713 व 716 की उत्तरी सीमा पर भी दर्शाया गया है किन्तु इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

सभी खसरा नम्बरान के साबिक खसरा नम्बरों में रास्ते का मुताबिक नक्शा शीट के अंकन नहीं था एव ना ही इनमें से इनका रकबा लिया गया है।

❖ इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त रास्ता खसरा नम्बर 721 वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 712 में से न होकर नक्शा शीट में सही दर्शाया गया है किन्तु उक्त रास्ते का रकबा सिर्फ साबिक खसरा नम्बर 1643 एवं 562 से लिया गया है जो गलत है। अतः जवाबदावा श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

4. उपरोक्त दावा एवं जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार नतकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई–

➢ क्या साबिक आराजी खसरा नम्बर 562 व 1643 वाके ग्राम भगवतगढ़ पटवार हल्का भगवतगढ बी तहसील चौथ का बरवाडा से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है. गै. मु. रास्ते को नक्शा ट्रेस से हजफ. फरमाया जावे ?

–वादी

➢ क्या प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नं0 712 के उत्तरी ओर कोई नवीन रास्ता नहीं निकाले और न ही वादी के कब्जे काश्त की भमि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे?

–वादी

➢ क्या उक्त रास्ता खसरा नंबर 721 वादी की खातेदारी के खसरा नंबर 712 में से न होकर नक्शा शीट में सही दर्शाया गया है किन्तु उक्त रास्ते का रकबा सिर्फ साबिक खसरा नंबर 1643 एवं 562 से लिया गया है जो गलत है ?

–प्रतिवादी

5. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

⇨ पी0डब्ल्यू–01:– जलीश पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

⇨ पी0डब्ल्यू–02:– सयेद फसाहत पुत्र सयेद फरहत अली, निवासी मिर्जा मौहल्ला, शहर, सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

⇨ पी0डब्ल्यू–03:– ईनामुद्दीन पुत्र श्री इब[illegible] निवासी आदर्श नगर ए, सवाई माधोपुर।

- प्रदर्श–1:– जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 672 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–2:– जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 1 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- प्रदर्श–03:– मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–4:– जमाबंदी संवत् 2033–2036 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–05:– नामान्तरकरण संख्या 2387 दिनांक 11.06.1987
- प्रदर्श–06:– तुलनात्मक क्षेत्रफल
- प्रदर्श–07:– नवीन नक्शा ट्रेस की नकल
- प्रदर्श–08:– साबिक नक्शा ट्रेस

6. वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. वकील वादी का कथन है कि सेटिलमेन्ट के दोरान सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने वादी के हिस्से की भूमि नवीन खसरा नम्बर 712 के उत्तरी ओर साबिक नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता नहीं होते हुऐ भी साबिक खसरा नम्बर 562 व 1643 से एक नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० बनाकर रास्ता अंकित कर दिया जबकि मौके पर न तो कभी रास्ता था और ना कभी रहा है। अतः वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1642 से बने नवीन खसरा नम्बर 712 रकबा 0.85 है० वाके ग्राम भगवतगढ पटवार हल्का भगवतगढ बी के उत्तरी ओर स्थित साबिक खसरा नम्बर 1643 के नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन ट्रेस में अंकन किया जाकर सेटिलमेन्ट विभाग वालो द्वारा गलत एवं निराधार तरीके से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 को नक्शा ट्रेस से हजफ फरमाया जावे। मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श 03)** से खसरा नंबर 721 के साबिक खसरा नंबर 562 व 1643 से बनने की पुष्टि होती है, जिसकी ताईद तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने जवाब में की है, साथ ही तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि साबिक नक्शा शीट अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1642 की उत्तरी दिशा की में खसरा नम्बर 557, 558, 559 का अंकन है। खसरा नम्बर 1642 कर उत्तरी दिशा में किसी भी प्रकार का रास्ता अंकित नहीं था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है० बनाने के लिए साबिक खसरा नम्बर 562 में से 0.40 है एवं साबिक खसरा नम्बर 1643 में से 0.06 है रकबा लिया गया है जबकि वर्तमान में उक्त साबिक खसरा नम्बरान से बने नवीन नम्बरों में रास्ते की नाप करने पर खसरा नम्बर 709, 710, 711 जो साबिक खसरा नम्बर 1643 से बने हैं. इनमें रास्ते की माप लगभग 0.40 है. व साबिक खसरा नम्बर 562 से बने नये नम्बरों में उक्त रास्ते की नाप लगभग 0.01 है० बैठती है जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा लिये गये रकबे से मिलान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त रास्ता खसरा नम्बर 721 जो नवीन [illegible] नम्बर 712, 713 व 716 की उत्तरी सीमा पर भी दर्शाया गया है किन्तु [illegible] खसरा नम्बरों में रास्ते का मुताबिक नक्शा शीट के अंकन [illegible] में से इनका रकबा लिया गया है। नवीन नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–07) व साबिक नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–08) के मिलान से भी भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुराने रास्ते से बनाये गये नवीन रास्ते में भिन्नता के कारण नवीन नक्शा ट्रेस गलत बनाये जाने की पुष्टि होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

8. तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

- **तनकी संख्या 01:–** क्या साबिक आराजी खसरा नम्बर 562 व 1643 वाके ग्राम भगवतगढ़ पटवार हल्का भगवतगढ बी तहसील चौथ का बरवाडा से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 721 रकबा 0.46 है. गै. मु. रास्ते को नक्शा ट्रेस से हजफ फरमाया जावे ?

–वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है, जिसके संबंध में वादी ने स्वयं के बयान करवाये हैं, एवं गवाह **पी0डब्ल्यू 02–** सयेद फसाहत अली एवं **पी0डब्ल्यू 03–** इमामुद्दीन के बयान करवाये गये हैं, जिन्होने वादी के कथन की ताईद की है की प्रदर्श–08 साबिक नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नंबर 1642 के उत्तर में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भू–प्रबंध विभाग की गलती से 1642 के बने नये खसरा नंबर 712 के उत्तर में रास्ता गलत दर्शाया है। **प्रदर्श–07** में अंकित खसरा नंबर 1642 के बने नवीन खसरा नंबर 712 जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि नवीन खसरा नंबर 721 साबिक खसरा नंबर 562 व 1643 से बनाये गये हैं, जो नये खसरा नंबर 712 के उत्तर में स्थापित नहीं होते हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में इस प्रकार निर्णित की जाती है कि नवीन खसरा नंबर 712 के उत्तर में कोई रास्ता नहीं है।

- **तनकी संख्या 02:–** क्या प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नं0 712 के उत्तरी ओर कोई नवीन रास्ता नहीं निकाले और न ही वादी के कब्जे काश्त की भमि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे?

–वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था, जिसके संबंध में तनकी संख्या 01 में पूर्ण रूप से विवेचन किया जा चुका है कि नवीन खसरा नंबर 712 के उत्तर में कोई रास्ता नहीं है। इसलिये प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो वादी की भूमि खसरा नंबर 712 के उत्तर में कोई रास्ता नहीं निकाले और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

- **तनकी संख्या 03:–** क्या उक्त रास्ता खसरा नंबर 721 वादी की खातेदारी के खसरा नंबर 712 में से न होकर नक्शा शीट में सही दश[illegible] है किन्तु उक्त रास्ते का रकबा सिर्फ साबिक खसरा नंबर 1643 [illegible] 562 [illegible] है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिवादी ने तनकी संख्या 03 के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है और मात्र जवाब पेश किया है। तहसीलदार के जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 721, जो नवीन खसरा नंबर 712 के उत्तर में दर्शाया गया है, जो गलत है। अतः खसरा नंबर 721 किस्म गै0मु0 रास्ते से हजफ किया जाकर सिवायचक बारानी–01 घोषित किया जाता है। इस प्रकार इस तनकी संख्या 03 को निर्णित किया जाता है।

9. उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर की जमाबंदी संवत् 2073–2076 में अंकित खसरा नंबर 712 के उत्तर में दर्शाये गये खसरा नंबर 721 रकबा 0.46 किस्म गै0मु0 रास्ता को हजफ किया जाकर खसरा नंबर 721 रकबवा 0.46 है0 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा को सिवायचक किस्म बारानी–1 किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा नंबर 721 रकबा 0.46 किस्म गै0मु0 रास्ते के स्थान पर सिवायचक बारानी–01 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाडा</u>

1. जलीस पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

<u>नम्बर मुकदमा 07 सन् 2020</u>

<u>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट</u>

वादी की ओर से श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की उपस्थिति में इस दिनांक के आज ता0 18.02.2026 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री दिलाई जाती है कि ग्राम ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर की जमाबंदी संवत् 2075 में अंकित खसरा नंबर 712 के उत्तर में दर्शाये गये खसरा नंबर 721 रकबा 0.46 किस्म गै0मु0 रास्ते का हजफ किया जाकर खसरा नंबर 721 रकबवा 0.46 है0 वाके ग्राम भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा सिवायचक किस्म बारानी–1 किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा नंबर 721 रकबा 0.46 किस्म गै0मु0 रास्ते के स्थान पर सिवायचक बारानी–01 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)